

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 52/2022

श्री नारु पुत्र श्री छीतर, जाति गुर्जर, निवासी दरडून्द, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

.....रेस्पॉन्डेन्ट

**अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956**

उपस्थित :-

श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलान्ट की ओर से।

:- आदेश :-

दिनांक-06.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2078 में श्री नारु पुत्र श्री छीतर, जाति गुर्जर, निवासी दरडून्द, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम दरडून्द के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 86 कुल रकबा 0.5258 हैक्टर किस्म बा0 1, चाही 2 में से रकबा 200 वर्ग गज भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 70/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.10.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.10.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन पैरोकार सरकार के अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक



**अपर कलक्टर
अजमेर**

न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये आक्षेपीय आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1995 आर.बी.जे. पेज 460 के अनुसार:-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- When provisions of this section cannot be invoked.

Section 91 of the Act prescribed a summary procedure for eviction of a person who is found to be in unauthorised occupation of Government land. The said provisions cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land".

इसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2006 आर.बी.जे. पेज 291 के अनुसार :-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- Powers under this section can be exercised only against trespassers".

वकील अपीलान्त ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में सदभाविक काबिज व्यक्ति को अतिक्रमी के रूप में माना जाकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का कब्जा वैधानिक रूप से सदभाविक रहा है। अपीलान्त का विवादित आराजी पर कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में सिद्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अवैधानिक रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलान्त भूमिहीन काश्तकार है एवं उसका वादग्रस्त आराजी पर मकान निर्मित है एवं अपीलान्त अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलान्त के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रहवासी स्थान उपलब्ध नहीं है एवं अपीलान्त परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। अपीलान्त आदेश की आड़ में उसे मौके से बेदखल कर निर्माण तोड़ दिया जाता है तो स्पष्टतः न्याय का हनन होगा एवं उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अपीलान्त का पक्का मकान नियमन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत पेशी दिनांक 13.09.2021 को नोटिस जारी कर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनके समक्ष अपीलान्त के अतिक्रमी के रूप में कब्जे संबंधी किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद साईक्लोस्टाईल रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया है। उन्होंने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्त के अतिरिक्त अन्य करीब पचास से अधिक व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं जो कि लगभग 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। विवादित आराजी सिवायचक भूमि नहीं होकर मदनमोहन जी महाराज स्थान किशनगढ की खातेदारी आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रकार से बेदखली की कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं है एवं न ही विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना मकान तोड़ा जाकर बेदखल किया जाना न्यायोचित है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलान्त आदेश निरस्त किया जावे।

अपर कलक्टर
अजमेर /



हमने वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक (बा0 1 व चाही 2) के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् विवादित आराजी पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



6/2
(लोकेश कुमार गौतम)
लोकेश कुमार गौतम
अपर कलक्टर
अजमेर